कार्यालय आदर्श नगर पंचायत रामपुर कारखाना, देवरिया

पत्रांक 474 /नि0 सूचना 2010–11 दिनांक 04 जुलाई 2011

अल्पकालिक निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना में विभिन्न निर्माण कार्य जो नगर पालिका परिशद/लो0नि0वि0/आर0ई0एस0/जिला पंचायत तथा पंजीकृत फर्मो से वर्ष 2010–11 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत ठेकेदारों से दिनांक 19–07–2011 को 14.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष 15.00 बजे नगर पंचायत कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय के एल0बी0सी पटल पर/नगर पंचायत कार्यालय रामपुर कारखाना से निर्धारित भुल्क जमा कर दिनांक 18–07–2011 को समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रति ात धनरा ि एन.एस.सी./के.वी.पी./एफ.डी.आर. आदि जो अधि ाासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पद नाम से बन्धक हो, संलग्न कर निविदा प्रपत्र पर उल्लेख करना अनिवार्य है। अन्य नियम व भार्तें तथा कार्य की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कार्यालय से की जा सकती है। इस विज्ञापन को वेबसाईट **www.deoria.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

क्रम सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगरण की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	छेदी के घर से आशिक के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,30,000=00	13000=00	150=00	एक माह
2	मजिद के घर से मसीउल्लाह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	54,800=00	5480=00	50=00	आरक्षित एक माह
3	असलम के घर से रामआज्ञा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। वार्ड न0 4	87,900=00	8,790=00	100=00	एक माह
4	वेचन के घर से मुबारक के घर तक नाली मिटटी सोलिंग एव। इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	4,44,800=00	44,480=00	450=00	आरक्षित एक माह
5	बागेश्वरी माता के स्थान से इकबाल अहमद के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। वार्ड न0 9	3,60,000=00	36000=00	400=00	एक माह
6	सी0सी0 रोड से नई मस्जिद , भोला के मकान व जिखू के मकान होते हुये रफीक के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। वार्ड न0 10	4,24,356=00	42,435=00	450=00	एक माह

7	हरिजन बस्ती से बलिकरन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। वार्ड न0 1	1,82,309=00	18,230=00	200=00	एक माह
8	मेन पिच रोड से रामाज्ञा के मकान तक मिटटी भराई कार्य वार्ड न0 3	31,000=00	3100=00	100=00	एक माह
9	मेन रोड से जनता इण्टर कालेज के गेट तक नाली निर्माण कार्य वार्ड न0 4	52,500=00	5250=00	100=00	एक माह

<u>शर्त एवं नियमः–</u>

1– निविदा दाता को जमानत की 10 प्रति ात धनरा ि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसमें किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0 अथवा नकद अधि ाासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा। जिसमें निविदा के साथ 10 प्रति ात जमानत की धनरा ि जमा करना होगा।

2– एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

3– निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त चरित्र, हैसियत प्रमाण पमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोशागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/ एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

5– ठेकेदार को निर्माण कार्य नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। अन्यथा 100–00 रूपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब भुल्क देना होगा। अर्थात ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब भुल्क/जुर्माना की धनरा ि काट ली जायेगी।

6– 100–00 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर भापथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

7– निविदा के समय विवाद की द ाा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।

8– किसी भी फर्म/निविदादाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभ्रदत्ता, दुव्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।

9– ठकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

10– किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन होने पर जिला प्र ाासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदे ाों/निर्दे ाों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

11– ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के प चात कार्यादे ा प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनरा ि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12 जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोश जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।

13– निविदादाता को अपने निविदा में स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग अलग निविदा में दरे मान्य होगी।

14– उपरोक्त निर्माण कार्य को मदवार अलग–अलग निविदा मान्य होगी।

15– कार्य में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।

16– भोश जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस मे कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

17– निविदा सूचना देवरिया की वेबसाईट **www.deoria.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

अधि ासी अधिकारी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

पत्रांक 474(2)/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेशित।

1– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।

2– प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया को कार्यो की सूची एवं सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर प्रकाशनार्थ।

3– उप जिलाधिकारी सदर, देवरिया।

4– तहसीलदार सदर, देवरिया।

5– खण्ड विकास अधिकारी रामपुर कारखाना, देवरिया।

6– अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।

7– मा0 समस्त अध्यक्ष गण नगर पालिका परिशद/नगर पंचायतें जनपद देवरिया।

8 अवर अभियन्ता नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया।

9– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10– सम्पादक स्वतंत्र चेतना गोरखपुर,/एकता हमारी प्राचीन परम्परा है, देवरिया को इस आ ाय से प्रेशित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रका ानार्थ प्रेशित।

अधि ासी अधिकारी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।